कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़ (राज0)

फोन :— 01552 — 262202 Email :- dto.hanumangarh.tport@rajasthan.gov.in

क्रमांक :— परि/हनु/2017/ दिनांक :—

श्रीमान अतिरिक्त परिवहन आयुक्त , (प्रवर्तन)
परिवहन विभाग , परिवहन भवन,
राजस्थान , जयपुर।

विषय :— दिनांक 03.03.2017 को हुई दुर्घटना की सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आज दिनांक 03.03.2017 को सुबह लगभग 9.30 बजे एक ट्रक **JK-02-AR 8215** जिसमें केमिकल भरा है , जो कि जम्मू से इन्दौर जा रहा था तथा कमाण्डर जीप संख्या **RJ-13-UA 3328** रावतसर , जो कि (जिला परिवहन कार्यालय , नोहर के क्षेत्राधिकार में है) से 18 सवारी भरकर हनुमानगढ की ओर आ रही थी। इन दोनो वाहनों की शेरगढ पुलिस चौकी से 2 कि.मी पहले रावतसर की ओर आमने सामने की टक्कर हो गई । जीप में चालक समेत कुल 18 सवारी जो कि जीप के अन्दर थी , बाहर कोई लटकी हुई नही थी। इस दुर्घटना में जीप में सवार 17 व्यक्ति मौके पर मारे गये । जिसमें तीन महिलाऐं व एक दस साल की बच्ची शामिल है। जीप चालक घायल है जिसे बीकानेर रेफर किया गया है। प्रथम दृष्टया टक्कर का कारण ओवरटेकिंग प्रतीत हो रहा है। ट्रक अपनी साईड में सड़क से नीचे पलट गया एवं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया ।

महोदय यहां यह भी निवेदन है कि जीप संख्या **RJ-13-UA 3328** के वर्ष 2016—2017 में चालान क्रमांक 2019046 दिनांक 03.03.2016 , चालान क्रमांक 4931766 दिनांक 06.05.2016 व चालान क्रमांक 5055716 दिनांक 26.07.2016 को एम.वी. एक्ट में बिना परमिट , अतिभरण करने के अपराध में दर्ज किये गये है , जिन्हें क्रमशः रू. 2400 , 2000 व रू. 24960/— में संधारित किया गया है। तीनों चालानों में वाहन चालक भिन्न — भिन्न है , जिनकी प्रतियां संलग्न है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

रिपोर्ट सूचनार्थ एंव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

भवदीय

(राजेश स्वामी)
जिला परिवहन अधिकारी
हनुमानगढ oic

7843-7844
3/03/17

क्रमांक :— परि/हनु/2017/ दिनांक :—

प्रतिलिपि :— श्रीमान प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महोदय बीकानेर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

(राजेश स्वामी)
जिला परिवहन अधिकारी
हनुमानगढ oic

सेवा में,

श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी ,
हनुमानगढ।

विषय :– दुर्घटना की सूचना देने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आज दिनांक 03.03.2017 को सुबह लगभग 9.30 बजे एक ट्रक JK-02-AR 8215 जिसमें केमिकल भरा है , जो कि जम्मू से इन्दौर जा रहा था तथा कमाण्डर जीप संख्या RJ-13-UA 3328 रावतसर , (जो कि जिला परिवहन कार्यालय , नोहर के क्षेत्राधिकार में है)से 18 सवारी भरकर हनुमानगढ की ओर आ रही थी। इन दोनो वाहनों की शेरगढ पुलिस चौकी से 2 कि.मी पहले रावतसर की ओर आमने सामने की टक्कर हो गई । जीप में चालक समेत कुल 18 सवारी जो कि जीप के अन्दर थी , बाहर कोई लटकी हुई नही थी। इस दुर्घटना में जीप में सवार 17 व्यक्ति मौके पर मारे गये । जिसमें तीन महिलाऐं व एक दस साल की बच्ची शामिल है। जीप चालक घायल है जिसे बीकानेर रेफर किया गया है। प्रथम दृष्टया टक्कर का कारण ओवरटेकिंग प्रतीत हो रहा है। ट्रक अपनी साईड में सड़क से नीचे पलट गया एवं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया ।

रिपोर्ट सूचनार्थ सादर प्रस्तुत है।

भवदीय,

रामचन्द्र परिवहन निरीक्षक
प्रभारी - DFS-40

!! कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला हनुमानगढ !!

क्रमांकः–हनु/एसपीओ/परि./17/361–64 दिनांकः–03.03.2017

श्रीमान अति. महानिदेशक पुलिस,
यातायात, राजस्थान, जयपुर ।

विषय :– तथ्यात्मक रिपोर्ट " सड़क दुर्घटना में 17 की मौत" के सम्बन्ध में।
प्रसंग :– श्रीमान के पत्रांक य–2(2)पुलिस यातायात/2015/1151 दिनांक 03.03.2017 की पालना में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि कि आज दिनांक 03.03.2017 को सुबह 9.45 एएम पर मेगा हाइवे रोड पर शेरगढ के पास शिववाडी मंदिर के पास एक सवारी जीप कमांडर आरजे–13–युए–3328 व ट्रक नंबर जेके–02–एआर–8215 के मध्य टक्कर हो जाने से जीप में सवार 17 व्यक्तियो की मृत्यु हो गई। जीप रावतसर से हनुमानगढ जा रही थी व ट्रक जम्मू कश्मीर से इंदौर जा रहा था। जीप चालक ईमरान लखुवाली घायल हो गया जिसको ईलाज हेतु बीकानेर रैफर किया गया है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित की गई। मौका पर श्रीमान जिला कलैक्टर , मन पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ मय अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौका पर पहुंचे। उक्त घटनाक्रम के सम्बन्ध में पंकज कुमार एस0आई0 प्रभारी पुलिस चौकी शेरगढ पु0था0 हनुमानगढ टा0 की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार से है –

आज दिनांक 03.03.2017 के वक्त 09.50 ए0एम0 पर जरिये टेलिफोन ईतला मिली कि मैगा हाईवे सड़क पर चक 16 एम0डी0 के पास एक ट्रक व एक जीप का ऐक्सीडेन्ट हो गया है। जिस पर पंकज कुमार एस0आई0 मय चौकी स्टाफ के मौका पर पहुंचा तो वहां एक जीप नं0–आरजे–13–युए– 3328 व एक ट्रक नं0–जेके–02–एआर– 8215 दुर्घटनाग्रस्त हालत में सड़क की बाई साईड में पड़े थे। जीप पुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी व ट्रक सड़क से नीचे उतर कर पलटा हुआ था। पास में घायल व मृतक आदमी व औरतो की लाशें पड़ी थी। पास में ही ट्रक का ड्राईवर खड़ा था जिसने अपना नाम पता कुलवीर सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति लबाणा सिख निवासी डबलहर पुलिस थाना अर्शपुर जिला जम्मू बताया व जीप के पास में जीप का चालक घायल बैठा था जिसने अपना नाम इमरान खां पुत्र श्री हाकम अली जाति मुसलमान निवासी लखुवाली बताया। इमरान ने मृतक व घायल औरते व पुरूष जीप की सवारी होना बताया। मौका स्थिती देखने से पाया गया कि जीप चालक इमरान खां व ट्रक चालक कुलवीर सिंह ने जीप व ट्रक को तेज गति व लापरवाही से चला कर आमने सामने टक्कर मारी जिससे जीप में बैठी सवारीयों को चोटे लगी व मौत हो गई। वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 133/2017 जुर्म धारा–279,337,304–ए भादसं में दर्ज कर तफतीश शुरू की गई।

घटना में कुल 17 व्यक्तियों की मृत्यू हुई जिनमें से अब तक 16 मृतको की शिनाख्त हो चुकी है। मृतक जिनकी शिनाख्त हो चुकी है उनके नाम निम्न प्रकार से है :–

1. सुभाष पुत्र देवीलाल जाट उम्र 21 साल निवासी चक 16 एमडी मटोरियावाली ढाणी
2. राजपाल पुत्र जगदीश जाट उम्र 20 साल निवासी चक 16 एमडी मटोरियावाली ढाणी
3. सुरेन्द्र पुत्र जगदीश भाट उम्र 21 साल निवासी बिजारणीयां वाली ढाणी
4. भीमसैन पुत्र महेन्द्र जाति ब्राहमण उम्र 24 साल निवासी मटोरियावाली ढाणी
5. जुले खां पत्नि सबीर उम्र 26 साल निवासी लखुवाली
6. कलसुम पुत्री सबीर उम्र 10 साल निवासी लखुवाली
7. इन्द्राज पुत्र पृथ्वीराम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी जिगसानिया थाना मटीली राठान जिला गंगानगर
8. मांगीलाल पुत्र सुलतानराम जाति भाट उम्र 21 साल निवासी लखुवाली
9. फिरोज बानो पत्नि जबलहक उम्र 30 साल निवासी लखुवाली
10. जबलहम पुत्र सावनखानं उम्र 35 साल निवासी लखुवाली
11. राजेन्द्र पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राहण उम्र 45 साल निवासी नौरंगदेशर
12. ललित कुमार पुत्र हनुमानप्रसाद जाति सुथार उम्र 40 साल निवासी रावतसर
13. शिवदत पुत्र अमर सिंह बिश्नोई उम्र 40 साल निवासी चौहिलांवाली
14. धर्मपाल पुत्र श्री आशाराम कुम्हार उम्र 40 साल निवासी ढेढार थाना सुरतगढ
15. उदाराम पुत्र श्री दीपाराम जाति कुम्हार उम्र 55 साल निवासी भोमपुरा
16. महेद्र पुत्र मनफुल राम जाति मेघवाल उम्र 45 साल निवासी लालगढ

मृतको मे 3 महिलायें व 14 पुरूष है। जिनकी शिनाख्ती व पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश उनके वारीसान के सुपुर्द किये गये। एक महिला मृतक जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई, की लाश मोर्चरी रूम में रखवाई गई है व शिनाख्तगी के प्रयास जारी है। घटना में आरोपी ट्रक चालक कुलवीर सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति लबाना सिख निवासी डब लहर थाना अरचपुर जिला जम्मु कश्मीर को गिरफतार किया गया है।

दुर्घटनाग्रस्त जीप आरजे 13 युए 3328 का वर्ष 2016 में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा तीन बार दिनांक 3.3.16, 6.5.16, 26.7.16 को चालान कर जुर्माना राशि क्रमशः 2400 रूपये ,2000 रूपये ,24960 रूपये वसूल किये गये है तथा यातायात पुलिस हनुमानगढ़ द्वारा भी उक्त जीप का दिनांक 11.4.16, दिनांक 13.7.16, दिनांक 27.12.16 को चालान/सीज किया जाकर जुर्माना राशि 2300 रूपये , 500 रूपये व 3300 रूपये वसूल किये गये है। इसके अलावा पुलिस थाना रावतसर द्वारा भी उक्त जीप का दिनांक 3.2.16, 14.2.16, 14,6.16, 21.2.17 को चालान/सीज किया गया है, पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन द्वारा दिनांक 16.11.16 को उक्त जीप का चालान किया गया है।

जिला परिवहन अधिकारी द्वारा वर्ष 2015–16 में क्षमता से अधिक सवारी के 72 चालान व वर्ष 2016–2017 में अब तक 65 चालान किये गये है। इसके अलावा पुलिस द्वारा वर्ष 2016 में क्षमता से अधिक सवारी के 1472 चालान , तेज गति से वाहन चलाने पर 638 चालान व कुल 29531 चालान किये गये है। वर्ष 2017 में अब तक क्षमता से अधिक सवारी के 215 ,तेज गति से वाहन चलाने पर 93, कुल 7064 चालान किये जा चुके है।

घटना की गम्भीरता को देखते हुये श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज , बीकानेर के निर्देशानुसार पुलिस चौकी लखुवाली प्रभारी जगदीश उप निरीक्षक व पुलिस चौकी में तैनात समस्त स्टाफ कों लाईन हाजिर किया गया है, व पुलिसकर्मियों की लापरवाही के सम्बन्ध में जांच श्रीमती निर्मला बिश्नोई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ से करवाई जा रही है।

तथ्यात्मक रिपोर्ट अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

भवदीय

–एसडी–
जिला पुलिस अधीक्षक
हनुमानगढ

प्रतिलिपी :– 1 श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज बीकानेर को सूचनार्थ।
2. प्रभारी राज्य नियन्त्रण कक्ष राज0, जयपुर ।
3. प्रभारी ए.सी.आर. राज0 , जयपुर ।

–एसडी–
जिला पुलिस अधीक्षक
हनुमानगढ

GOVERNMENT OF RAJASTHAN c25036011

OFFICE OF DISTRICT TRANSPORT OFFICER, HANUMANGARH

DTO HANUMANGARH

CASH RECEIPT

For Office Use

Number : 620547 Tr. Sr. No. : 620547

Received From : CLNO.4931766 DT/6.5.18 Date : 26/07/2016

Vehicle No. : RJ13-UA 3328 Time : 15:27:20

S.No.	Particulars	Period ---->	Amount
1	Composition Money	/ / / /	2000.00
		Total :	2000.00

Rupees Two Thousand Only

CASHIER (DHARMVEER(I.A.))

2016-17

RT & SRT paid

in Challan No. 5055717

Date 26/07/16 on 26/07/16

CR No. . .

W.P. – 2000

26/07/16

2000

T.C. 2015

राजस्थान सरकार

छोटा परिवार-सुखी परिवार

परिवहन विभाग

पंचनामा

क्रमांक 4931766

चैकिंग कार्यवाही का प्रतिवेदन

1. चैकिंग अधिकारी का नाम SSB पद MVI पदस्थापन कार्यालय एवं जिला HMH

2. मोटर वाहन चैकिंग स्थल : खोरगढ़

3. चैकिंग का दिनांक व समय : 06.5.16 9½ AM

4. वाहन की श्रेणी (ट्रक/बस आदि) जीप S/C=10

5. रजिस्ट्रेशन नं. व रजिस्ट्रेशन का स्थान (राज्य-जिला) RJ.13.UA.3328

6. वाहन स्वामी का नाम : Malikhan
पिता का नाम : Fateh Mdh
जाति : Mdh.
पूर्ण पता : Lakhuwali (HMH)

7. वाहन के चालक का नाम : खुर्शेद
पिता का नाम : बाग अली
जाति : मु०
पूर्ण पता : लखूवाली (हनु०)

8. परिचालक का नाम :
पिता का नाम :
जाति :
पूर्ण पता :

9. (क) चालक लाईसेन्स का विवरण :
(1) लाईसेन्स नं. व वैधता की अवधि RJ.31.DLC.06.30741 17-1-20
(2) लाईसेन्स जारी होने का स्थान हनु०
(ख) परिचालक लाईसेन्स का विवरण :
(1) लाईसेन्स नं. व वैधता
(2) लाईसेन्स जारी होने का स्थान

10. उपरोक्त मोटर वाहन को लखूवाली से हनु० टा० से जाते हुए चैक किया गया। मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989, राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 व राजस्थान मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1951 के निम्नलिखित प्रावधान का उल्लंघन पाया गया :

1. वाहन बिना परमिट पाया गया
2. वाहन में क्षमता से अधिक भार है
3. वाहन निर्धारित मार्ग से हटकर चलाया जा रहा है।
4. वाहन की फिटनेस नहीं हुई है।
5. वाहन का टैक्स बकाया है।
6. वाहन का इन्श्योरेन्स नहीं है।
7. वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं है।
8. चालक लाईसेन्स नहीं है।
9. अन्य

वाहन में (10) यात्री सवार हैं।
वाहन किराए भाड़े पर संचालित पाया गया। प्रत्येक सवारी से 20/- किराया लेने की बात चालक ने बताई है। वाहन निजि रूप मे पंजीकृत है। अत: कर देय बनता है।

7500 / 2496 / 6205 / 26/3/16

हस्ताक्षर चालक Sd/- खुर्शेद

अनाई (सवार यात्री)

हस्ताक्षर परिचालक

हस्ताक्षर गवाह

हस्ताक्षर चैकिंग अधिकारी

कार्यालय | की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

1013 1/10

F$ = 24605
S/C = 1235
RTSRT Paid

CR No. 596896
04-06-15

O/C = 200
AP = 2000
Rt = 100
D/C = 100

2400

Cm

18/8/16

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF DISTRICT TRANSPORT OFFICER, HANUMANGARH

DTO HANUMANGARH

c23340419

CASH RECEIPT

Owner's Copy

Number : 613204
Received From : CL.NO.2019046 DT/3.3.16
Vehicle No. : RJ13-UA 3328

Tr.Sr.No. : 613204
Date : 18/03/2016
Time : 17:10:49

S.No.	Particulars	<----- Period ----->	Amount
1	Composition Money	/ / / /	2400.00
		Total :	2400.00

Rupees Two Thousand Four Hundred Only

CASHIER (DHARMVEER(I.A.))

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

OFFICE OF DISTRICT TRANSPORT OFFICER HANUMANGARH

DTO HANUMANGARH

CASH RECEIPT

C-A- 19146312

Owner's Copy

Number 595696

T.SF.No.: 596896

Date : 08/05/2015

RT SRT

01/04/2015 31/03/2016

Amount

24605.00

2391.00

Rupees Twenty Seven Thousand Nine Hundred ... Only

CASHIER (SATISH ...)

परिवहन विभाग

क्रमांक 2019046

पंचनामा

चैकिंग कार्यवाही का प्रतिवेदन

1. चैकिंग अधिकारी का नाम SSB पद MVI पदस्थापन कार्यालय एवं जिला HMH

2. मोटर वाहन चैकिंग स्थल : शेरगढ़ 3. चैकिंग का दिनांक व समय : 03.3.16, 1.45 pm

4. वाहन की श्रेणी (ट्रक/बस आदि) जीप 5. रजिस्ट्रेशन नं. व रजिस्ट्रेशन का स्थान (राज्य–जिला) RJ.13.UA.3328

6. वाहन स्वामी का नाम : माहीखान
पिता का नाम : फतेह मो०
जाति : मु०
पूर्ण पता : लखूवाली (हनु०)

7. वाहन के चालक का नाम : मो० रफी
पिता का नाम : बहादुर खान
जाति : मु०
पूर्ण पता : लखूवाली (हनु०)

8. परिचालक का नाम :
पिता का नाम :
जाति :
पूर्ण पता :

9. (क) चालक लाईसेंस का विवरण : प्रस्तुत नहीं।
(1) लाईसेंस नं. व वैधता की अवधि
(2) लाईसेंस जारी होने का स्थान
(ख) परिचालक लाईसेंस का विवरण
(1) लाईसेंस नं. व वैधता
(2) लाईसेंस जारी होने का स्थान

10. आपकी वाहन संख्या...—...ट्रक को...—...दिनांक...—...को...लखूवाली हनु० को जाते हुए...—...पर चैक किया गया।

चैकिंग के दौरान बिल्टी/वे ब्रिज की रसीद के आधार पर आपके वाहन सं....—....में...—...किलोग्राम भार लादा पाया गया, जो वाहन की भार क्षमता से....—....किलोग्राम अधिक है, जो कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–113 का उल्लंघन है।

अतः आपको मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 114 के अधीन निर्दिष्ट किया जाता है कि आप उल्लिखित अधिक भार (.....—.....किलोग्राम) अपनी जोखिम पर उतारें एवं उल्लेखित अधिक भार को उतारे बिना वाहन को आगे नहीं ले जावें। वाहन में 14 सवारी सवार हैं। वाहन निजी रूप में पंजीकृत होते हुए भी H/R में संचालित है। अतः कर देय बनता है। R/C साथ नहीं है।

हस्ताक्षर चालक

हस्ताक्षर परिचालक

हस्ताक्षर गवाह

हस्ताक्षर चैकिंग अधिकारी

कार्यालय उपयोग हेतु	की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	सुरेन्द्र सिंह बेनीवाल परिवहन निरीक्षक परिवहन विभाग, हनुमानगढ़
	पेशी – DTO – HMH [illegible] – File (तीन दिवस में)	

नोट :– चैकिंग के दौरान पाई जाने वाली कमियों का विस्तृत विवरण खाली स्थान में देवें। आवश्यकता होने पर अलग पेज पर संलग्न करें।

परिवहन विभाग

क्रमांक 2019046

पंचनामा

SS चैकिंग कार्यवाही का प्रतिवेदन

HMH

1. चैकिंग अधिकारी का नाम .... पद .... पदस्थापन कार्यालय एवं जिला ....

2. मोटर वाहन चैकिंग स्थल : छोरगढ़

3. चैकिंग का दिनांक व समय : 03.3.16, 1.45 pm

4. वाहन की श्रेणी (ट्रक/बस आदि) जीप

5. रजिस्ट्रेशन नं. व रजिस्ट्रेशन का स्थान (राज्य-जिला) RJ.13.UA.3328

6. वाहन स्वामी का नाम : माहीखान
पिता का नाम : फतेह मो०
जाति : मु०
पूर्ण पता : लखूवाली (हनु०)

7. वाहन के चालक का नाम : मो० रफी
पिता का नाम : बहादुर खान
जाति : मु०
पूर्ण पता : लखूवाली (हनु०)

8. परिचालक का नाम :
पिता का नाम :
जाति :
पूर्ण पता :

9. (क) चालक लाईसेंस का विवरण प्रस्तुत नहीं,
(1) लाईसेंस नं. व वैधता की अवधि
(2) लाईसेंस जारी होने का स्थान
(ख) परिचालक लाईसेंस का विवरण
(1) लाईसेंस नं. व वैधता
(2) लाईसेंस जारी होने का स्थान

10. आपकी वाहन संख्या ....—........ ट्रक को ....—.... दिनांक ....—.... को लखूवाली हनु० को जाते हुए .... पर चैक किया गया।

चैकिंग के दौरान बिल्टी/वे ब्रिज की रसीद के आधार पर आपके वाहन सं. ....—.... में ....—.... किलोग्राम भार लादा पाया गया, जो वाहन की भार क्षमता से ....—.... किलोग्राम अधिक है, जो कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-113 का उल्लंघन है।

अतः आपको मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 114 के अधीन निर्दिष्ट किया जाता है कि आप उल्लिखित अधिक भार (....—....किलोग्राम) अपनी जोखिम पर उतारें एवं उल्लेखित अधिक भार को उतारे बिना वाहन को आगे नहीं ले जावें।

वाहन में 14 आदमी सवार हैं।
वाहन निजी रूप में पंजीकृत होते हुए भी H/R में संचालित है। अतः कर देय बनता है।
R/C साथ नहीं है।

हस्ताक्षर चालक

हस्ताक्षर परिचालक

हस्ताक्षर गवाह

हस्ताक्षर चैकिंग अधिकारी

कार्यालय उपयोग हेतु	की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण पर्ची - DT---HMH Kept - F/c

नोट :- चैकिंग के दौरान पाई जाने वाली कमियों का विस्तृत विवरण खाली स्थान में देवें। आवश्यकता होने पर अलग पेज पर संलग्न करें। (निजी रूप में)

Governm... of Rajasthan
Certificate of Registration

Reg. No. RJ13UA3328
Date of Reg. 26/07/2002
Valid... 25/12/2017
Chassis No. MA1CF2ABA[illegible]1F 17635
Sr. No. 03
Engine No. AB21F32583
Owner Name MAHI KHAN
Son/Daughter/Wife of FATEH MOHAMMAD
Address W.NO. 14 LAKHUWALI, LK. TEH.TIBBI DIST.HANUMANGARH OTT [illegible]
Fuel Used DIESEL

RJ NT

Reg. No.	RJ13UA3328
Month & Yr. of Mfg.	/2002
Wheel Base	2680
Cubic Capacity	3000
No. of Cylinders	4
Unladen Weight (kgs)	1370
Vehicle Class	LMV(G)
Maker's Name	MAHIND...
Model Name	CDR 6... 2WD
Colour	GREY
Body Type	SOFT...
Seating Capacity	10
Tax Paid Upto	00/00/0...

CENTRAL MOTOR VEHICLES
RULES 1989
FORM 7 (See Rule 16(2))
DRIVING LICENCE

D.L NO RJ-31/DLC/12/105435 Date 23/07/2012
Name MOHAMMAD RAFIK
Son of BAHADUR KHAN
Address LAKHUWALI HEAD
HANUMANGARH
is licenced to drive throughout India a vehicle
of the following description
MCY WITH GEAR, LIGHT MOTOR VEH,

The licence to drive other than transport
... is valid
From 23/07/2012 To : 17/10/2029

D.T.O.
D.T.O. HANUMANGAH
Licensing Authority Hanumangarh

Dt. of first issue of DL/Class of vehicle
Name/Designation of the testing authority DEVENDRA SHRMA / MVI

Badge_No. and Authorization Date to drive transport vehicle
Badge Detail
DOB 10/10/1979 Blood Group Tel No.
Citizenship INDIAN

DON'T DRINK & DRIVE

DRIVING OFFENCES:

Pinnacle Software, Jaipur 2358824

कार्यालय अनुज्ञाप्ति अधिकारी एंव जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ
फोन :– 01552 – 262202 Email :- dto.hanumangarh.tport@rajasthan.gov.in

क्रमांक :–परि/हनु/लाई0/2016/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

वाहन चालक श्री लियाकत अली पुत्र श्री सादक अली , नि – वार्ड न0 – 14 , लखूवाली , जि – हनुमानगढ द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरुप संचालन न कर यातायात नियमों का उल्लंघन किया है। इस संबंध मे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत वाहन चालक श्री लियाकत अली को इस कार्यालय के पत्रांक 2606 दिनांक 21.07.2016 द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 29.07.2016 नियत की गई थी। श्री लियाकत अली या उसका कोई प्रतिनिधि नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित नही आया।

इस पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए मैं राजेश कुमार स्वामी अनुज्ञप्ति अधिकारी एंव जिला परिवहन अधिकारी ,हनुमानगढ श्री लियाकत अली पुत्र श्री सादक अली , नि – वार्ड न0 – 14 , लखूवाली , जि – हनुमानगढ की चालक अनुज्ञप्ति संख्या– RJ31 20160003050 को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का आज दिनांक 10.08.2016 से 09.11.2016 तक वाहन संचालन हेतु अयोग्य करता हूं । तथा लाईसेन्सधारी को निर्देश दिये जाते हैं कि डिस्क्वालीफिकेशन अवधि दिनांक 10.08.2016 से 09.11.2016 तक वाहन का संचालन नही करें। उपरोक्त प्रार्थ

जिला परिवहन अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

(राजेश स्वामी)
जिला परिवहन अधिकारी
अनुज्ञप्ति अधिकारी एंव जिला परिवहन अधिकारी हनुमानगढ

क्रमांकः– 3050-55 दिनांकः– 10.08.16

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ/आवश्यक इन्द्राज एंव कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान उप परिवहन आयुक्त (प्रशा0) महोदय , परिवहन विभाग , राजस्थान को सादर सूचनार्थ।
2. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी को सूचनार्थ।
3. प्रभारी यातायात शाखा , हनुमानगढ को सूचनार्थ।
4. श्री [illegible] सूचना सहायक को समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में ई – मेल करने हेतु।
5. वाहन चालक श्री लियाकत अली पुत्र श्री सादक अली , नि – वार्ड न0 – 14 , लखूवाली , जि – हनुमानगढ को सूचनार्थ।
6. लाईसेन्स शाखा कार्यालय हाजा को आवश्यक रिकार्ड में इन्द्राज हेतु।

(राजेश स्वामी)
जिला परिवहन अधिकारी
अनुज्ञप्ति अधिकारी एंव जिला परिवहन अधिकारी हनुमानगढ

O/C

c25036013

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

OFFICE OF DISTRICT TRANSPORT OFFICER, HANUMANGARH

DTO HANUMANGARH

CASH RECEIPT

Owner's Copy

Number : 620549 | Tr. Sr. No. : 620549

Received From : CLNO.5055719 DT/26.7.16 | Date : 26/07/2016

Vehicle No. : RJ13-UA 3328 | Time : 15:30:59

S. No.	Particulars	<----- Period ----->	Amount
1	RT & SRT	01/04/2016 31/03/2017	21867.00
2	SURCHARGE	/ / / /	1093.00
3	Composition Money	/ / / /	2000.00
		Total :	24960.00

Rupees Twenty Four Thousand Nine Hundred Sixty Only

CASHIER (DHARMVEER(I.A.))

Cost. 5.91

RTLBRT 16-17 = 21867

Sue = 1093

WP = 2000

24960

26/03/24

24960

परिवहन विभाग

पुस्तक सं. 14815

क्रमांक 40

और से,
प्रभारी, उडनदस्ता,
जिला परिवहन अधिकारी

सेवामें,
प्रभारी, पुलिस स्टेशन/चौकी
....
जिला..............................

सीजर मीमो

मैं...परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक, उडनदस्ता, जिला परिवहन अधिकारी...वाहन संख्या.............................को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 207/राजस्थान मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1951 की धारा 17 के अन्तर्गत निम्नलिखित उल्लंघन/अपराधों में जब्त/सीज/डिटेन करता हूं। जब्ती के दौरान वाहन संख्या.............................आपकी सुपुर्दगी में रहेगी।

वाहन एवं उसमें भरे माल की देखभाल वाहन चालक/स्वामी स्वयं करेंगे।

अपराध

(1) वाहन में टैक्स टोकन नहीं है।
(2) वाहन का कर बकाया है।
(3) स्पेशल रोड कर बकाया है।
(4) वाहन में वैध परमिट नहीं है।
(5) वाहन में फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है।
(6) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं है।
(7) बीमा सर्टिफिकेट नहीं है।
(8) वाहन के साथ पोल्यूशन अण्डर कन्ट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है।
(9) अन्य

26/7/11

वाहन चालक/वाहन स्वामी के हस्ताक्षर

प्रभारी उडनदस्ता/जि.प. अधि.

प्रतिलिपि श्री...पुत्र श्री...
वाहन चालक/कन्डक्टर/वाहन स्वामी को सूचनार्थ

प्रभारी उडनदस्ता/जि.प. अधि.

५५५ा०।

क्रमांक

चैकिंग कार्यवाही का प्रतिवेदन

5055719

1. चैकिंग अधिकारी का नाम DES-MD/MKL पद MVSI पदस्थापन कार्यालय एवं जिला DTO HMH

2. मोटर वाहन चैकिंग स्थल : [illegible]

3. चैकिंग का दिनांक व समय : 26/7/2016 1015 AM

4. वाहन की श्रेणी (ट्रक/बस आदि): Jeep

5. रजिस्ट्रेशन नं. व रजिस्ट्रेशन का स्थान (राज्य-जिला) RJ 13 UA 3328

6. वाहन स्वामी का नाम :

पिता का नाम :

जाति :

पूर्ण पता :

7. वाहन के चालक का नाम : लियाकत अली

पिता का नाम : S. [illegible]

जाति :

पूर्ण पता : R. [illegible]

8. परिचालक का नाम :

पिता का नाम :

जाति :

पूर्ण पता :

9. (क) चालक लाईसैन्स का विवरण :

(1) लाईसैन्स नं. व वैधता की अवधि

(2) लाईसैन्स जारी होने का स्थान

(ख) परिचालक लाईसैन्स का विवरण :

(1) लाईसैन्स नं. व वैधता

(2) लाईसैन्स जारी होने का स्थान

10. उपरोक्त मोटर वाहन को हनुमानगढ़ से [illegible] से जाते हुए चैक किया गया। मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989, राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 व राजस्थान मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1951 के निम्नलिखित प्रावधान का उल्लंघन पाया गया :

1. वाहन बिना परमिट पाया गया
2. वाहन में क्षमता से अधिक भार है।
3. वाहन निर्धारित मार्ग से हटकर चलाया जा रहा है।
4. वाहन की फिटनेस नहीं हुई है।
5. वाहन का टैक्स बकाया है।
6. वाहन का इन्श्योरेन्स नहीं है।
7. वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं है।
8. चालक लाईसैन्स नहीं है।
9. अन्य

[illegible]

चालक लियाकत अली

हस्ताक्षर चैकिंग अधिकारी

[illegible] का संक्षिप्त विवरण

[illegible] पाई जाने वाली कमियों का विस्तृत विवरण खाली स्थान में देवें। आवश्यकता होने पर अलग पेज पर संलग्न करें।